

पत्रक
(नियम 13)


{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

| | | |
|--|--------|--|
| मुन्नाराम पुत्र झण्डूराम जाति कुमावत निवासी रामपूरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान। | -बनाम- | सरिता देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी रामपूरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू राजस्थान। |
| किस्म मुकदमा- दावा: घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व मंसुख करवाने विक्रय पत्र। | | मु.नं. 11/6/24 / 2024 |
| | | RCMS No |

| आदेश | कार्यवाही विवरण | पालना के क्रमांक व दिनांक |
|------|-----------------|---------------------------------|
|------|-----------------|---------------------------------|

22.05.24 आज यह वाद वादीगण की ओर से वकील श्री विद्याधर जाखड़ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 06/6/24 को पेश हो।


 सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
 नवलगढ़ जिला झुन्डुनू

6/6/24 पत्रावली पेश की। वकील पद्माराज 34, 5 प्रति. 11.
2 को ओर से वकील श्री मिश्र कुमार
जाकिर तथा प्रति. 12 को ओर से वकील
श्री बाबुलाल कुमावत ने कालनामा पेश किया।
प्रति. 1, 9 लगा. 11 को तामिल अफम
प्राप्त। प्रति. 3 लगा. 8, 13 को तामिल
जारी की रजि. डाक से करवाने जाने के
बाबजूद अन्तः - मामला रद्द हो जाने के
बिना एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाने
जाती है पत्रावली वारन्ते डावाब व तलबी
के अन्त आदेश दिनांक 11/6/24 को पेश
है।

11/6/24 पत्रावली पेश की। पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह
ने पत्रावली/आवेदन के अन्त में पत्रावली
का दिनांक 11/6/24 को पेश है।

14/6/24 पत्रावली पेश की। वकील पद्माराज 34, 5 वादीगण
द्वारा मा. पत्र पेश कर निर्दिष्ट किया गया
उक्त प्रकरण में पत्रावली के अन्त राशोनामा
है। अन्त राशोनामा के आधार
पर प्रकरण को रजि. स्टार पर रखा जा
करवाना चाहते हैं अन्तः पत्रावली को
CONT...



CONT... काबो चलाने का ऑफिस नहीं है।
 आता: पत्रावली को रानी स्तर पर
 रवारीग मिला जाता है पत्रावली
 फेरना सुगार होकर पत्रावली
 से कम है तबना बाद तालमाल
 आपका पारिवला फफार हो

14/6/24
14/6/24

००